

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं०-221/2017

राकेश कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी ग्राम कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
-वादी

वनाग

1. सुभाष पुत्र भानाराम
2. चूकीदेवी पत्नी मोटाराम
3. शिशाराम
4. रणवीर
5. सहीराम पुत्रान मोटाराम
6. भगवती पत्नी बीरबल
7. प्रहलाद पुत्र बीरबल
8. विनोददेवी पत्नी महावीरप्रसाद
9. नितिन कुमार पुत्र महावीर.प्रसाद
10. रेणूकुमारी पुत्री महावीरप्रसाद
11. शांतिदेवी पत्नी गीदाराम
12. उर्मिला
13. सरोज
14. निर्मला पुत्रियां गीदाराम
15. जयलाल
16. सुशील कुमार पुत्रान फूलाराम उर्फ फूलचन्द
17. सुमिता
18. सुनिता
19. शर्मिला पुत्रियां फूलाराम उर्फ फूलचन्द
20. सावत्रीदेवी पत्नी हनुमान उर्फ हणमान
21. घासीराम दत्तक पुत्र हनुमान उर्फ हणमान
22. ताराचन्द
23. किशोरीलाल पुत्रान पोकरमल जाति समस्त जाट निवासीगण ग्राम कारी तहसील नवलगढ
24. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ
25. शाखी प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा नवलगढ तहसील नवलगढ

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरुस्त करवाने रिकार्ड,
एवं कृषि भूमि का विधिवत विभाजन

विजेन्द्रसिंह दूत

निर्णय

1-8-19

निर्णय दिनांक 01.08.2018

वाद वादी दिनांक 29.08.2018 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया तथा मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2019/1588 दिनांक 24.07.2019 प्रस्तुत किया जाने पर बहस वकील वादी सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिकी किये जाने में कोई एतराज नहीं होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद न्यायोचित होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लेण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर में। निर्णय आज दिनांक 01.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



1819
(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलराज

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ दुरुस्त करवाने रिकार्ड एवं कृषि भूमि का विधिवत विभाजन

मुकदमा सं०:- 221/2017 (राकेश कुमार बनाम सुभाष आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी...वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई -वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 01.08.2019 निर्णय अनुसार वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

जिन.....-..... मुबलिग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद
बशरह.....-.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।
वसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 01 माह 08 सन.2019. को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुकमनामा	-	बाबत इजराय हुकमनामा	-
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00